ज्ञापांक–11/आ०नि०–03/2000 का०–502 पटना–15, दिनांक 02 नवम्बर, 2002

प्रतिलिपि– मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रतिलिपि– सचिव, बिहार विधानसभा सचिवालय/बिहार विधान परिषद सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. प्रतिलिपि– लोकायुक्त के सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. प्रतिलिपि– सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना/परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना, आई०ए०एस० संघ भवन, पटना।

निरंजन कुमार चौधरी
सरकार के उप सचिव।

---

[62]

पत्र संख्या–11/आ०–02–आ०नी०–11/2002 का०–458

बिहार सरकार,
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

डॉ० अरविन्द प्रसाद,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी विभागीय सचिव
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक 30 सितंबर, 2002

विषय– बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) अधिनियम 2002– (बिहार अधिनियम–17/2002) के आलोक में सभी सरकारी तथा सभी अर्द्ध–सरकारी सेवाओं में सीधी नियुक्त एवं प्रोन्नति में आरक्षण के संबंध में रोस्टर की व्यवस्था।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सभी सरकारी तथा सभी अर्द्ध–सरकारी सेवाओं में सीधी नियुक्ति के संबंध में संशोधित आरक्षण प्रतिशत निर्धारण संबंधी बिहार अधिनियम–17/2002 के लागू हो जाने के फलस्वरूप नये सिरे से रोस्टर की व्यवस्था आवश्यक हो गयी है।

2. अतः पूर्व में निर्गत सभी रोस्टरों को विलोपित करते हुए सरकारी तथा अर्द्ध–सरकारी सेवाओं में सीधी नियुक्ति एवं प्रोन्नति के लिए लागू होनेवाले आदर्श रोस्टर क्रमशः अनुलग्नक 1 एवं 2 पर संलग्न है। यह सभी राज्य स्तरीय एवं क्षेत्रीय रिक्तियों पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति में तत्काल लागू होगा।

3. यह रोस्टर तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

अतः अनुरोध है कि पुनरीक्षित आदर्श रोस्टर का दृढ़ता से अनुपालन प्रत्येक नियुक्ति/नियंत्रण पदाधिकारी सुनिश्चित करने की कृपा करें।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक–यथोक्त।

अरविन्द प्रसाद
सरकार के सचिव।

अनुलग्नक–1
सीधी भर्ती के लिए 100 बिन्दु का आदर्श रोस्टर

1. अनारक्षित
2. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
3. अनारक्षित
4. अनुसूचित जाति
5. अनारक्षित
6. पिछड़ा वर्ग
7. अनारक्षित
8. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
9. अनारक्षित
10. अनुसूचित जाति
11. अनारक्षित
12. पिछड़ा वर्ग
13. अनारक्षित
14. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
15. अनारक्षित
16. अनुसूचित जाति
17. अनारक्षित
18. पिछड़ा वर्ग की महिला
19. अनारक्षित
20. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
21. अनारक्षित
22. पिछड़ा वर्ग
23. अनारक्षित
24. अनुसूचित जाति
25. अनारक्षित
26. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
27. अनारक्षित
28. अनुसूचित जाति
29. अनारक्षित
30. पिछड़ा वर्ग
31. अनारक्षित
32. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
33. अनारक्षित
34. अनुसूचित जाति
35. अनारक्षित
36. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
37. अनारक्षित
38. पिछड़ा वर्ग
39. अनारक्षित
40. अनुसूचित जाति
41. अनारक्षित
42. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
43. अनारक्षित
44. अनुसूचित जनजाति
45. अनारक्षित
46. पिछड़ा वर्ग
47. अनारक्षित
48. अनुसूचित जाति
49. अनारक्षित
50. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
51. अनारक्षित
52. पिछड़ा वर्ग की महिला
53. अनारक्षित
54. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
55. अनारक्षित
56. अनुसूचित जाति
57. अनारक्षित
58. पिछड़ा वर्ग
59. अनारक्षित
60. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
61. अनारक्षित
62. अनुसूचित जाति
63. अनारक्षित
64. पिछड़ा वर्ग
65. अनारक्षित
66. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
67. अनारक्षित
68. अनुसूचित जाति
69. अनारक्षित
70. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
71. अनारक्षित
72. पिछड़ा वर्ग
73. अनारक्षित
74. अनुसूचित जाति
75. अनारक्षित
76. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
77. अनारक्षित
78. अनुसूचित जाति
79. अनारक्षित
80. पिछड़ा वर्ग
81. अनारक्षित
82. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
83. अनारक्षित
84. पिछड़ा वर्ग की महिला
85. अनारक्षित
86. अनुसूचित जाति
87. अनारक्षित
88. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
89. अनारक्षित
90. पिछड़ा वर्ग
91. अनारक्षित
92. अनुसूचित जाति
93. अनारक्षित
94. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
95. अनारक्षित
96. पिछड़ा वर्ग
97. अनारक्षित
98. अनुसूचित जाति
99. अनारक्षित
100. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग

अनुलग्नक–2
प्रोन्नति संबंधी 100 बिन्दुओं का आदर्श रोस्टर

1. अनारक्षित
2. अनारक्षित
3. अनारक्षित
4. अनुसूचित जाति
5. अनारक्षित
6. अनारक्षित
7. अनारक्षित
8. अनारक्षित
9. अनारक्षित
10. अनुसूचित जाति
11. अनारक्षित
12. अनारक्षित
13. अनारक्षित
14. अनारक्षित
15. अनारक्षित
16. अनुसूचित जाति
17. अनारक्षित
18. अनारक्षित
19. अनारक्षित
20. अनारक्षित
21. अनारक्षित
22. अनारक्षित
23. अनारक्षित
24. अनुसूचित जाति
25. अनारक्षित
26. अनारक्षित
27. अनारक्षित
28. अनुसूचित जाति
29. अनारक्षित
30. अनारक्षित
31. अनारक्षित
32. अनारक्षित
33. अनारक्षित
34. अनुसूचित जाति
35. अनारक्षित
36. अनारक्षित
37. अनारक्षित
38. अनारक्षित
39. अनारक्षित
40. अनुसूचित जाति
41. अनारक्षित
42. अनारक्षित
43. अनारक्षित
44. अनुसूचित जनजाति
45. अनारक्षित
46. अनारक्षित
47. अनारक्षित
48. अनुसूचित जाति
49. अनारक्षित
50. अनारक्षित
51. अनारक्षित
52. अनारक्षित
53. अनारक्षित
54. अनारक्षित
55. अनारक्षित
56. अनुसूचित जाति
57. अनारक्षित
58. अनारक्षित
59. अनारक्षित
60. अनारक्षित
61. अनारक्षित
62. अनुसूचित जाति
63. अनारक्षित
64. अनारक्षित
65. अनारक्षित
66. अनारक्षित
67. अनारक्षित
68. अनुसूचित जाति
69. अनारक्षित
70. अनारक्षित
71. अनारक्षित
72. अनारक्षित
73. अनारक्षित
74. अनुसूचित जाति
75. अनारक्षित
76. अनारक्षित
77. अनारक्षित
78. अनुसूचित जाति
79. अनारक्षित
80. अनारक्षित
81. अनारक्षित
82. अनारक्षित
83. अनारक्षित
84. अनारक्षित
85. अनारक्षित
86. अनुसूचित जाति
87. अनारक्षित
88. अनारक्षित
89. अनारक्षित
90. अनारक्षित
91. अनारक्षित
92. अनुसूचित जाति
93. अनारक्षित
94. अनारक्षित
95. अनारक्षित
96. अनारक्षित
97. अनारक्षित
98. अनुसूचित जाति
99. अनारक्षित
100. अनारक्षित

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

विषय– राज्य सरकार के अधीन सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण का प्रावधान करने के संबंध में।

बिहार पुनर्गठन अधिनियम–2000 के आलोक में शेष बिहार में हुए जनसंख्या में परिवर्तन के कारण पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण प्रतिशत को संशोधित करते हुए नया आरक्षण प्रतिशत निर्धारित किया गया है। एतद् संबंधी बिहार अधिनियम–17, 2002 पारित किया जा चुका है।

2. बिहार अधिनियम 17, 2002 के माध्यम से संशोधित आरक्षण प्रतिशत लागू हो जाने के फलस्वरूप सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु बिहार अधिनियम 17, 2002 के अनुरूप आरक्षण की व्यवस्था आवश्यक हो गयी है। अतः सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्याधीन सभी स्तर एवं सभी प्रकार के यथा सामान्य, तकनीकी, गैर–तकनीकी, व्यावसायिक आदि शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु बिहार अधिनियम–17, 2002 के अनुरूप निम्न रूप से आरक्षण की व्यवस्था की जाये–

1. अनुसूचित जातियाँ	16 प्रतिशत
2. अनुसूचित जन–जातियाँ	01 प्रतिशत
3. अत्यंत पिछड़ा वर्ग	18 प्रतिशत
4. पिछड़ा वर्ग	12 प्रतिशत
5. पिछड़े वर्ग की महिलाएँ	03 प्रतिशत

3. एतद्संबंधी इस विषय पर निर्गत सभी संकल्प/परिपत्र इस अंश तक संशोधित समझा जाय।

4. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे तथा जिन संस्थानों में नामांकन हेतु परीक्षायें/आवेदन–पत्र लिये जा चुके हैं परंतु नामांकन नहीं हुआ हो तो उस पर भी लागू होंगे।

आदेश– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
अरविन्द प्रसाद
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–11आ०–02–आ०नी०–12/02 का०–456 पटना–15, दिनांक 30.09.2002

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि इस संकल्प की 1000 प्रतियाँ इस विभाग को भेजने की कृपा की जाय।

अरविन्द प्रसाद
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–11आ०–02–आ०नी०–12/02 का०–456 पटना–15, दिनांक 30.09.2002

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना तथा राँची/ अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो/अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सदस्य–सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/मुख्यमंत्री सचिवालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/अध्यक्ष, बिहार विधान परिषद्/सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीनस्थ सभी कार्यालयों/स्थानीय निकायों/निगमों/लोक सेवा के उपक्रमों/पर्षदों को अविलंब सूचित करा दें।

अरविन्द प्रसाद

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–11आ०–02–आ०नी०–12/02 का०–456 पटना–15, दिनांक 30.09.2002

प्रतिलिपि–सचिव, प्राथमिक/सेकेन्ड्री एवं वयस्क शिक्षा विभाग/माध्यमिक शिक्षा विभाग/उच्च शिक्षा विभाग को अपने अधीनस्थ संस्थानों में लागू कराने हेतु प्रेषित।

अरविन्द प्रसाद

सरकार के सचिव।

---

[64]

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

विषय– बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम–1991 की अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–94 पर दर्ज मोमिन (मुस्लिम) के आगे एक दूसरे कोष्ठक में (जुलाहा/अंसारी) जोड़ने के संबंध में।

राज्य सरकार ने बिहार अधिनियम–12, 1993 की धारा–3 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन "पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग" का गठन किया है। आयोग को बिहार अधिनियम–3, 1992 बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम–1991 की अनुसूची–1 एवं 2 में पिछड़े वर्गों के रूप में नागरिकों के किसी वर्ग को सम्मिलित करने के अनुरोध की जाँच करनी है और ऐसी सूचियों में किसी वर्ग के अतिसमावेशन या अल्पसमावेशन से संबंधित शिकायतों की जाँच करनी है। इसके उपरान्त आयोग द्वारा राज्य सरकार को ऐसी सलाह दी जाती है, जैसा वह उचित समझे। बिहार अधिनियम–12, 1993 "पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग" की धारा–9 (2) के अनुसार आयोग की एतद्संबंधी राय मानने के लिए सामान्यतया राज्य सरकार बाध्य है।

"पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग" द्वारा विधिवत जाँचोपरान्त अनुशंसा की गई है कि–

"अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची अनुसूची–1 (एक) के क्रमांक–94 पर दर्ज मोमिन (मुस्लिम) के आगे एक दूसरे कोष्ठक में (जुलाहा/अंसारी) भी जोड़ दिया जाय।"

अतः राज्य सरकार ने भली–भाँति विचार करने के उपरान्त यह निर्णय लिया है कि पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में बिहार अधिनियम–3, 1992 बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम–1991 की अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–94 पर दर्ज मोमिन (मुस्लिम) के आगे एक दूसरे कोष्ठक में (जुलाहा/अंसारी) भी जोड़ दिया जाय।

अतः उक्त समावेशन के फलस्वरूप उपर्युक्त जाति को राज्य सरकार की सेवाओं, जिला पर्षद, नगरपालिका, अर्द्ध सरकारी सेवाओं, विश्वविद्यालयों एवं लोक उपक्रमों की सेवाओं में पिछड़े वर्गों को मिलने वाले आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त संबंधित आरक्षित वर्ग को देय अन्य सुविधाएँ अनुमान्य होंगी। यह लाभ अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

आदेश– अतः यह आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना/राँची/बिहार लोक सेवा आयोग/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/मुख्यमंत्री सचिवालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितेन चन्द्र

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–11/वि०2–पि०व०आ०–01/02 का०–432 पटना–15, दिनांक 16 सितम्बर, 2002

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी 500 प्रतियाँ मुद्रित कर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

नितेन चन्द्र

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–11/वि०2–पि०व०आ०–01/02 का०–432 पटना–15, दिनांक 16 सितम्बर, 2002

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना/राँची/अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग/सदस्य–सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना/बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना/कुलपति, सभी विश्वविद्यालय को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीन सभी कार्यालयों/स्थानीय निकायों/निगमों/लोक सेवा के उपक्रमों/पर्षदों को अविलम्ब सूचित करा दें।

नितेन चन्द्र

सरकार के अपर सचिव।